राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग
चिकित्सा शिक्षा भवन पिंक स्कवाईर मॉल के पास गोविन्द मार्ग जयपुर
ई–मेल: addldir.medicaleddu@rajasthan.gov.in

NO.F7 (54) (393)(1)/SR ALLOTMENT/DME/ACAD/2025-8146 / **दिनांकः**

// आदेश //

राज्य के राजकीय एव राजमेस के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशियलिटी कोर्स करने वाले अभ्यार्थियों से वर्तमान में कोर्स पूर्ण होने के पश्चात 2 वर्ष राजकीय सेवा करने हेतु 25 लाख रूपयें राशि का सेवा बन्धपत्र भरवाया जाता है। उपरोक्त सेवा बन्धपत्र की अवधि, राशि एवं लागू करने की प्रक्रिया के बारे में पूर्व में समय–समय पर जारी समस्त परिपत्रों/आदेशों/दिशा–निर्देशों/पत्रों/ FAQs को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैः–

1. राज्य के राजकीय एवं राजमेस के चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशियलिटी कोर्स पूर्ण करने के उपरांत सर्विस बॉण्ड के अधीन छात्र/छात्राओं से राज्य में राजकीय सेवा दी जानी अपेक्षित है। वर्तमान में राजकीय एवं राजमेस के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं से 02 वर्ष की राजकीय सेवा प्रदान करने हेतु 25 लाख रूपयें का सेवा बन्धपत्र प्राप्त किया जाता है।
2. स्नातकोत्तर एवं सुपर–स्पेशियलिटी कोर्स के प्रवेश बैच 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के लिये एकबारीय शिथिलता प्रदान करते हुये बॉण्ड राशि को 10 लाख रूपयें किया गया था। बॉण्ड की समायावधि 02 वर्ष रहेगी।
3. प्रवेश बेच 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के लिये यह भी विशिष्ट प्रावधान किया गया था। कि यदि कोई अभ्यार्थी एक साल की राजकीय सेवा पूर्ण करने के उपरांत आगामी एक वर्ष की राजकीय सेवा नही करना चाहता है, तो वह 05 लाख रूपयें की राशि राजकोष में जमा करवाकर शेष एक वर्ष के लिये बन्ध–पत्र से मुक्त हो सकेगा।
4. स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशियलिटी कोर्स पूर्ण होने पर अन्य राजकीय कॉलेजो/संस्थानों के छात्र/छात्राओं को 02 वर्ष के लिये राज्य सरकार/राजमेस/आरयूएचएस /ईएसआई अलवर में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जावेगा।
5. प्रतिवर्ष राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पासआउट स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशियलिटी कोर्स छात्र/छात्राओं की सूचना एसआर आवंटन बोर्ड द्वारा कोर्स समाप्त से पूर्व यथा समय, सामान्यतः 02 माह पूर्व प्राप्त की जायेंगी।

Signature valid
Digitally signed by Ambrish Kumar
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.04.01 21:20:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14529676

6. मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजीडेन्ट के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशियलिटी कोर्स उत्तीर्ण हो रहे छात्र/छात्राओं से पोस्टिंग का विकल्प प्राप्त किये जायेंगे।

7. सीनियर रेजिडेंसी (SR) के लिए सीटों का आवंटन केवल अभ्यर्थियों की संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्र (Area of Specialcation) में ही किया जाएगा।

8. सीनियर रेजीडेन्सी के आंवटन हेतु इन–सर्विस अभ्यर्थी वह माने जावेगें, जिनके द्वारा NEET PG प्रवेश वर्ष की स्टेट काउंसलिंग में निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदत सूची में इन–सर्विस माना गया था। शेष सभी अभ्यर्थी नॉन सर्विस श्रेणी के माने जावेगें।

9. सीनियर रेजिडेंसी की सीटों को 2021 एमडी/एमएस/डीएम/एमसीएच बैच के इन–सर्विस और नॉन–सर्विस उम्मीदवारों के विभागवार अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। इन–सर्विस उम्मीदवारों को आवंटन के लिए इंटर–से मेरिट निर्धारित करने के लिए, जिस स्कोर के आधार पर पीजी कोर्स में प्रवेश दिया गया था, उसे माना जाएगा। और नॉन–सर्विस उम्मीदवारों के लिए, NEET PG परीक्षा की मेरिट, जिसके आधार पर पीजी कोर्स में प्रवेश दिया गया था, को माना जाएगा।

10. इन–सर्विस एवं नॉनसर्विस अभ्यर्थियों की पृथक–पृथक मेरिट लिस्ट जारी की जावेगी। नॉनसर्विस अभ्यर्थियों की पृथक मेरिट लिस्ट नीट पी.जी.परीक्षा में प्राप्त रैंक के आधार पर जारी की जावेगी तथा इन–सर्विस अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट नीट पी.जी.परीक्षा में प्राप्त अंको मे बोनस अंक जोड़ने के बाद के स्कोर के आधार पर जारी की जावेगी।

11. सुपर स्पेशियलिटी के इन–सर्विस एवं नॉन–सर्विस अभ्यर्थियो की कॉमन काउंसलिंग नीट सुपरस्पेशियलिटी परीक्षा में प्राप्त NEET SS रैंक के आधार पर जारी की जावेगी।

12. चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गठित काउंसलिंग बोर्ड इस प्रक्रिया को सम्पादित कर अभ्यार्थियों की आवंटन सूची निदेशालय चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करेंगे। उपरोक्त आवंटन सूची अनुसार नियुक्ति आदेश सम्बंधित प्रधानाचार्यों के स्तर से जारी किये जावेगे। सम्बंधित प्रधानाचार्य ज्वाईनिंग स्वीकार करने से पूर्व अभ्यर्थियों के संबंध में पात्रता सम्बंधित समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

13. कोई छात्र/छात्रा उपरोक्तानुसार बन्धपत्र में राजकीय सेवा देने के लिये इच्छुक नहीं है तो वह निर्धारित बन्धपत्र राशि जमा करवाकर वह बन्धपत्र से मुक्त हो सकेगा।

14. यदि स्नातकोत्तर कोर्स करने वाले किसी छात्र/छात्रा का आगामी वर्ष हेतु सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में चयन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे सुपर–स्पेशियलिटी कोर्स पूर्ण करने के उपरांत 02 वर्ष की राजकीय सेवा प्रदान करने का बन्धपत्र लिया जाकर उपरोक्त सुपर स्पेशियलिटी कोर्स करने हेतु

Signature valid
Digitally signed by Ambrish Kumar
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.04.01 21:20:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14529676

अनुमत किया जा सकेगा। सुपरस्पेशियलिटी कोर्स पूर्ण होने के बाद वे दो वर्ष की राज्य में राजकीय सेवा देगा।

15. यदि कोई छात्र किसी Institute of National Importance (AIIMS, PGI, JIPMER) में Fellowship के लिए चयनित होता है तो उसे भी Fellowships उपरान्त 2 वर्ष की राज्य में राजकीय सेवा देने की शर्त पर ही अनुमति दी जावेगी।

16. संबंधित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज उपरोक्त 02 वर्ष की राजकीय सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा रिलिज किये जायेंगे। इस हेतु उनके द्वारा प्रदान की गई राजकीय सेवा के बारे मे प्रमाण–पत्र संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक द्वारा जारी किये जायेंगे। उपरोक्त प्रमाण–पत्र के आधार पर 02 वर्ष की राजकीय सेवा का सत्यापन किया जाकर संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा उनके मूल दस्तावेज अभ्यार्थी को लौटा दिये जायेंगे। यदि अभ्यर्थी सुपर स्पेशियलिटी कोर्स/Fellowship में चयनित होता है एवं उसे इन शिक्षण संस्थानों में मूल दस्तावेज की आवश्यकता होती है तो संबंधित संस्थान सीधे ही मूल दस्तावेज संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय को भिजवायेगा, जहां पर अभ्यर्थी द्वारा सुपर स्पेशियलिटी कोर्स/Fellowship हेतु प्रवेश लिया जा रहा है।

17. राजस्थान राज्य के राजकीय एवं राजमेस के चिकित्सा महाविद्यालयों में, सीनियर रेजीडेन्ट का वेतनमान चिकित्सा शिक्षा ग्रुप 1 के आदेश दिनांक 31.05.2021 के अनुसार दिया जावेगा। यह वेतनमान, इस आदेश के जारी होने के पश्चात् ज्वॉइन करने वाले सभी प्रकार के सीनियर रेजीडेन्ट के लिए लागू होगा।

18. विशिष्ठ परिस्थितियों यथा–वैश्विक आपदा (जैसे–कोविड), प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा आदि की स्थिति में राज्य सरकार इन्हें आवश्कतानुसार किसी भी पद के विरूद्ध नियुक्ति प्रदान करने पर विचार कर सकती हैं।

19. SR अवधि में प्रतिवर्ष अधिकतम 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। आकस्मिक अवकाश प्रति पूर्णमास पर अर्जित होगे।

20. सीनियर रेजीडेन्ट को SR अवधि में नियमानुसार, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश देय होगा।

21. ब्रॉडस्पेशियलिटी विभागों में इन–सर्विस के अभ्यर्थियों का सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर आवंटन केवल एक वर्ष के लिए किया जावेगा एवं यदि सुपरस्पेशियलिटी विभागो में इन–सर्विस अभ्यर्थी यदि सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर कार्य करना चाहें, तो उन्हे भी काउंसलिंग द्वारा आवंटित किया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Ambrish Kumar
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.04.01 21:20:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14529676

22. काउसंलिंग पश्चात सीनियर रेजीडेन्ट के रिक्त पदों को सम्बंधित प्रधानाचार्यों के स्तर पर भरने की कार्यवाही की जायेगी। जिसमें बॉण्ड बैच के अलावा अन्य सभी अभ्यर्थी पात्र होंगें।

23. सभी प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि बॉण्ड बैच के सभी पीजी (इन सर्विस एवं नॉनसर्विस) तथा सुपरस्पेशियलिटी (केवल नॉनसर्विस एवं इन सर्विस इच्छानुसार) अभ्यार्थियों से आवेदन कराया जाना सुनिश्चित करावें, आवेदन नहीं करने की स्थिति में प्रधानाचार्यों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार जिन नॉनसर्विस अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग हेतु आवेदन नहीं किया जावेगा, उन नॉनसर्विस अभ्यर्थियों का आवंटन भी काउंसलिंग बोर्ड द्वारा स्वतः ही रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा।

24. बॉण्ड सर्विस के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित कॉलेज ज्वॉइन नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बंधित प्रधानाचार्यों द्वारा बॉन्ड की राशि वसूल करने की कार्यवाही की जावेगी।

25. यदि कोई बॉण्ड सर्विस के अधीन अभ्यर्थी एम्स जोधपुर,RUHS मेडिकल कॉलेज, जयपुर एवं ESIC Medical College Alwar में अपनी सीनियर रेजीडेन्सी करता है, तो उसे भी बॉण्ड सर्विस में माना जावेगा।

26. बॉण्ड सर्विस के अधीन अभ्यर्थी, यदि अपनी सीनियर रेजीडेन्सी के दौरान किसी भी प्रकार की राजस्थान राज्य की राजकीय सेवा में नियमित भर्ती हेतु चयनित होता हैं, तो उसके द्वारा उक्त अवधि तक राजकीय सेवा को बॉण्ड सर्विस माना जावेगा।

27. सीनियर रेजीडेन्ट के पदों पर काउंसलिंग के लिए राजस्थान राज्य की आरक्षण नीति का पालन किया जावेगा।

28. ब्रॉडस्पेशियलिटी/सुपरस्पेशियलिटी विभागों में कार्यरत अभ्यार्थियों द्वारा जिस प्रकृति का कार्य किया जायेगा उसे उसी के अनुरूप कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित मेंडिकल कॉलेजो के प्रधानाचार्यों द्वारा दिया जावेगा।

29. सुपर स्पेशियलिटी कोर्स के उतीर्ण अभ्यर्थी सहायक आचार्य के पद के लिए भी पात्र हैं। अतः सुपर स्पेशियलिटी विभागों के सीनियर रेजीडेन्ट को सहायक आचार्य के रूप में Designate किया जावेगा।

30. बैच 2021 के पी.जी. एवं सुपरस्पेशियलिटी विभागों में, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 806 दिनांक 18.02.2022 द्वारा वर्णित पी.जी. एवं सुपरस्पेशियलिटी विभागों में सर्विस बंध पत्र में शिथिलता दी गई हैं, वह यथावत रहेगी। अग्रिम बैच (2022 एवं अग्रिम) के इन विभागों के अभ्यर्थियों पर सर्विस बॉण्ड की सभी शर्तें लागू होगी।

Signature valid
Digitally signed by Ambrish Kumar
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.04.01 21:20:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14529676

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग
चिकित्सा शिक्षा भवन पिंक स्कवाईर मॉल के पास गोविन्द मार्ग जयपुर
ई–मेल: addldir.medicaleddu@rajasthan.gov.in

शासन सचिव
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा

NO.F7 (54)(393)(1)/SR ALLOTMENT/DME/ACAD/2025-8146 / **दिनांकः**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
2. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
3. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, राजमेस, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा./अका.), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा/राजमेस, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा/राजमेस, जयपुर।
9. चेयरमेन, डीएम/एमसीएच/एमडी/एमएस/अन्य अभ्यर्थी आवंटन बोर्ड–2025
10. उप निदेशक (प्रशा.), राजमेस, जयपुर।
11. समस्त राजकीय/राजमेस, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
12. डीन, एम्स जोधपुर।
13. डीन, ESI चिकित्सा महाविद्यालय, अलवर।
14. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
15. समस्त मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
16. अन्य संबंधित।
17. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा

Signature valid
Digitally signed by Ambrish Kumar
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.04.01 21:20:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14529676